



# हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)  
रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : [academic@durguniversity.ac.in](mailto:academic@durguniversity.ac.in)

वेब साइट : [www.durguniversity.ac.in](http://www.durguniversity.ac.in)

दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1605 / अका. / 2019

दुर्ग, दिनांक : 26/08/19

## // अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 9-3/2017/38-2; दिनांक 13.08.2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23(एक-अ) (संशोधित अधिनियम 2005) के प्रावधानानुसार हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के कार्यपरिषद हेतु छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 7208/वि.स./विधान/2019; दिनांक 03.07.2019 के आधार पर छत्तीसगढ़ विधान मंडल के निम्नांकित सदस्यों को मनोनीत किया गया है :-


क्र.	नाम	पता
1.	श्री अरूण वोरा, 64 - दुर्ग शहर	स्थायी निवास का पता: मकान नं. एस.एम.-38, पद्मनाभपुर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। स्थानीय निवास का पता: द्वारा श्री गोविंद लाल वोरा, गीतानगर, चौबे कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़। दूरभाष 0778 - 2210555, मोबाईल नं. - 9425565100
2.	श्री विद्यारतन भसीन, 66 - वैशालीनगर	स्थायी निवास का पता: एम.आई.जी. - 19, वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाईल नं. - 6232703456 स्थानीय निवास का पता: "परिश्रम" झूलेलाल चौक, केलकर बाड़ी, नहरपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। मोबाईल नं. - 9826154999
3.	श्री आशीष कुमार छाबड़ा 69 - बेमेतरा	स्थायी निवास का पता: वार्ड क्रमांक - 08, पंजाबी कॉलोनी, रायपुर रोड, तहसील-बेमेतरा, जिला-बेमेतरा, छत्तीसगढ़। मोबाईल नं. - 7898975297, 9826198508
4.	श्रीमती ममता चंद्राकर 71 - पंडरिया	स्थायी निवास का पता: ग्राम कठौतिया, पोस्ट-छिरहा, तहसील-नवागढ़, जिला-बेमेतरा, छत्तीसगढ़। स्थानीय निवास का पता: मकान नंबर-87, गायत्री नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। मोबाईल - 9893637637, 9406064043
5.	श्री दलेश्वर साहू 76 - डोंगरगांव	स्थायी निवास का पता: द्वारा श्री देवेन्द्र साहू, वार्ड नं. -7, कॉलेज रोड, सेवता टोला, डोंगरगांव, जिला - राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। स्थानीय निवास का पता: एच.आई.जी.-31, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सड्डू, रायपुर, छत्तीसगढ़। मोबाईल - 9893860283

उपर्युक्त माननीय सदस्यों की कार्यावधि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23(2) में उल्लेखित प्रावधानानुसार रहेगी जो कि अधिसूचना जारी दिनांक से 03 वर्ष की होगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. विशेष सचिव, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर।
4. सभी सम्मानीय सदस्यों को।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर,
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
7. कुलपति महोदय के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
8. सम्पादक, समस्त स्थानीय समाचार पत्रों की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करेंगे।

  
सहायक कुलसचिव (अका.)